

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, एनएसईजेड की अध्यक्षता में 01.09.2022 को पूर्वाह्न 11:15 बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी एसईजेड के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री राजेश कुमार, डीडीसी, एनएसईजेड।
- ii. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक (सीमा शुल्क), नोएडा।
- iii. सुश्री पोम्पी दास, उद्योग के सहायक आयुक्त, डीआईसी, नोएडा
- iv. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
- v. श्री दीपक कुमार, आयकर अधिकारी, नोएडा।

- इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, ii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, एडीसी, iii) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, स्टेनो ग्रेड- II और iv) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची की मदों को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 04.08.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से दिनांक 04.08.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए 04.08.2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: नई इकाई की स्थापना के लिए प्रस्ताव।

2.1. मैसर्स मार्गो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

2.1.1. मैसर्स मार्गो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम इब्राहिमपुर जुनैदपुर उर्फ मौजपुर जिला- बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन (FTWZ) में एक इकाई

राजेश

स्थापित करने के लिए आवेदन जमा किया है। "इकाइ, आयात और निर्यात के 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' मद को छोड़कर, "भंडारण, लेबलिंग के साथ या बिना व्यापार , पैकिंग या री-पैकिंग के बिना प्रसंस्करण, पूर्ण नॉक डाउन (CKD) या अर्द्ध नॉक डाउन (SKD) किट की असेंबली, संलग्न सूची के अनुसार, करना था। आवेदक ने मद विवरण के साथ 73 एचएस कोड के 4 अंकों के तहत एक सूची संलग्न की थी। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 121.53 लाख रुपये के संचयी एनएफई (000) के साथ 419.49 लाख रुपये का अनुमानित निर्यात किया। आवेदक ने FTWZ विकासक द्वारा दिनांक 08.08.2022 के पत्र के माध्यम से जारी अर्शिया FTWZ में 185.80 Sqft (2000 Sqft) जगह के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की।

2.1.2. पहली बार में आवेदन में निम्नलिखित कमियां देखी गई हैं: -

i. परियोजना रिपोर्ट में, आवेदन ने सेवा गतिविधियों को 'पृथक्करण, मिश्रण, काटना, पॉलिश करना, सम्मिश्रण आदि' के रूप में प्रस्तावित किया था, जो एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के तहत शामिल नहीं हैं।

ii. निदेशक सुश्री नुसरत इमरान की व्यक्तिगत प्रोफाइल / पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. निवेश के स्रोत को 'आंतरिक उपाजर्जन' के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि कंपनी अप्रैल, 2022 में निगमित हुई है। इसलिए, आवेदक को दोनों निदेशकों के पिछले 3 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतियां जमा करने की आवश्यकता है।

iv. आवेदक द्वारा प्रस्तावित 4 अंकों के एचएस कोड की जांच की गई है जो निम्नलिखित हैं: -

1. 0801 के तहत- एचएसएन (HSN) 08011100/3210/3220 आयात के लिए 'निषिद्ध' हैं।

2. 0802 के तहत- एचएसएन (HSN) 08028010/8020/8030/8090 आयात के लिए 'निषिद्ध' हैं।

3. 2942 के तहत- एचएसएन (HSN) 29420090 निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' हैं।

4. 3907 के तहत- एचएसएन (HSN) 39076110/6930 आयात के लिए 'निषिद्ध' है।

5. 3926 के तहत - एचएसएन (HSN) 39269099 निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है। एचएसएन 39269000 का निर्यात के लिए 'निषिद्ध' है।

6. 4011 के तहत एचएसएन (HSN) 40111010/1090/2010/2090/4010 /4020 /4090 /5000/5010/5090 आयात के लिए 'प्रतिबंधित' हैं।

21/3/21

7. 8528 के तहत - एचएसएन (HSN) 85287211/7212/7213/7214/7215/7216/7217/7218/7219 आयात के लिए 'प्रतिबंधित' है।

8. 8708 के तहत -एचएसएन (HSN) 87081090/2900/4000 /5000/7000/8000/9100/9200/9300 /9400/9900 निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है।

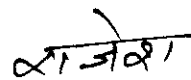
2.1.3. सुश्री नुसरत इमरान, निदेशक और श्री फुजैल अहमद, चार्टर्ड एकाउंटेंट, मैसर्स मार्गो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। इसके अलावा, श्री रोशन लाल, वरिष्ठ प्रबंधक, मैसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, विकासक भी बैठक में शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने बताया कि मुरादाबाद में उनकी एक मौजूदा डीटीए (DTA) इकाई है, जिसका नाम मैसर्स गुडलक मेटल्स है। उक्त इकाई का कारोबार पिछले 3 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये से अधिक है। समिति द्वारा पूछे जाने पर, प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रथम वर्ष की परिचालन लागत लगभग 15 लाख रुपये होगी जो स्वयं के धन से और रिश्तेदारों से असुरक्षित ऋण से पूरी की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में उनके पास पान-सुपारी (Betel Nut) का ऑर्डर है जिसके लिए FTWZ में कटिंग और पैकिंग गतिविधियाँ की जाएंगी।

2. 1. 4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से अधिकृत गतिविधियों के लिए, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) एवं निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 (प्रस्ताव के अनुसार एचएस 2103, 2106, 2202, 2203, 2204, 2208, 2209, 4008, 4011, 4013, 4014 को छोड़कर मदों की सूची) के अनुसार, आयात और निर्यात के लिए प्रतिबंधित और 'निषिद्ध' उत्पादों को छोड़कर, इकाई की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। अनुमोदन मुरादाबाद में मैसर्स गुडलक मेटल्स के पूर्ववृत्त के सत्यापन और निम्नलिखित प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- i. प्रदान किए जाने वाले प्रारूप में वित्तीय और तकनीकी विवरण।
- ii. मैसर्स गुडलक मेटल्स के जीएसटी (GST) पंजीकरण की प्रति के साथ मौजूदा व्यवसाय का विवरण।

अनुमोदन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है: -

- i. नवीनतम आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण या किसी अन्य कानून में दी गई आयात और निर्यात नीति के तहत "निषिद्ध / प्रतिबंधित" वस्तुओं / नकारात्मक सूची के तहत किसी भी वस्तु का कोई निर्यात / आयात नहीं है और / या डीजीएफटी अधिसूचनाओं / सार्वजनिक सूचना / निर्देशों के अनुसार के अनुसार स्कोमेट सूची के तहत कवर शामिल हैं।



- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा, जिसे निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 के साथ पढ़ा जाएगा।
- iii. एचएस कोड 0801, 0802 और 0804 के तहत वस्तुओं का आयात 100% निर्यात के लिए होगा और इन वस्तुओं की कोई डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
- iv. डीटीए (DTA) में कोई भी बिक्री एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होगी।
- v. डीजीएफटी अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पोर्ट प्रतिबंध लागू होंगे।
- vi. डीजीएफटी (DGFT) की आयात नीति या राज्य सरकार की आबकारी नीति के अनुसार, जब भी आवश्यक हो, इकाई संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी (NOC) प्राप्त करेगी।

2.2: मैसर्स डिविस फैशन इंपोर्टर्स।

2.2.1. मैसर्स डिविस फैशन इंपोर्टर्स ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन में एक इकाई स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। "इकाई, आयात और निर्यात के 'प्रतिबंधित' और निषिद्ध' मद को छोड़कर, "भंडारण, लेबलिंग के साथ या बिना व्यापार, पैकिंग या री-पैकिंग के बिना प्रसंस्करण, पूर्ण नॉक डाउन (CKD) या अर्द्ध नॉक डाउन (SKD) किट की असेंबली, संलग्न सूची के अनुसार, करना था। आवेदक ने मद विवरण के साथ 101 एचएस कोड के 4 अंकों के तहत एक सूची संलग्न की थी। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में अनुमानित निर्यात 302.90 लाख रुपये जबकि संचयी एनएफई (NFE) 58.14 लाख रुपये था। आवेदक ने अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड (००००) में 100 पैलेट (120.77 वर्गमीटर के बराबर) के आवंटन के लिए एफटीडब्ल्यूजेड विकासक द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.08.2022 के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की।

2.2.2. पहले आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गई:-

- i. परियोजना रिपोर्ट में, आवेदन में 'पृथक्करण, मिश्रण, कटिंग, पॉलिशिंग, सज्जिमिश्रण आदि' के रूप में सेवा गतिविधियों का प्रस्ताव किया गया था, जो एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के तहत शामिल नहीं हैं।
- ii. व्यक्तिगत प्रोफाइल / पृष्ठभूमि और मालिक श्री अजय कुमार का कार्य अनुभव प्रस्तुत नहीं किया गया।

राजेश

iii. आवेदक द्वारा प्रस्तावित 4 अंकों के एचएस कोड की जांच की गई है जो निम्नलिखित हैं: -

1. 0802 के तहत- एचएसएन 08028010/8020/8030/8090 आयात के लिए 'निषिद्ध' है।
2. 3907 के तहत- एचएसएन 39076100/6930 आयात के लिए 'निषिद्ध' है।
3. 3926 के तहत - HSN 39269099 निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है। एचएसएन 39269000 निर्यात के लिए 'निषिद्ध' है।
4. एचएसएन 6403 और 6702 क्रमांक पर दोहराए जाते हैं। क्रमांक 62,63 और 65, 66, क्रमशः।
5. 8529 के तहत - एचएसएन 85291011/1021/1091/9010 आयात के लिए 'प्रतिबंधित' है।
6. 8543 के तहत - संपूर्ण एचएसएन 8543 निर्यात के लिए 'निषिद्ध' हैं। इसके अलावा, एचएसएन 85434000 आयात के लिए 'निषिद्ध' है।
7. 708 के तहत - एचएसएन 87081090/2900/4000/5000/7000/8000/9100/9200 /9300/9400/9900 निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है।
8. 8714 के तहत - एचएसएन 87141010/1090/9100/9290/9390/9590/9990 निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है।

2.2.3. मेसर्स डिविस फैशन इंपोर्टर्स के प्रोपराइटर श्री अजय कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। इसके अलावा, मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, विकासक के सीनियर मैनेजर श्री रोशन लाल भी बैठक में शामिल हुए। श्री अजय कुमार ने बताया कि उन्हें हेंडबैग, जूते, जूते कपड़े आदि के आयात का लगभग 12-14 वर्षों का अनुभव है। समिति द्वारा पूछे जाने पर, प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले वर्ष की परिचालन लागत लगभग 50 लाख रुपये होगी, जिसे स्वयं के धन से पूरा किया जाएगा।

2.2.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से अधिकृत गतिविधियों के लिए, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) एवं निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 (प्रस्ताव के अनुसार एचएस 0802, 1107, 1805, 2002, 2005, 2103, 2106, 2202, 2203, 2204, 2208, 2209 और 2843 को छोड़कर मर्चें की सूची) के अनुसार, आयात और निर्यात के लिए प्रतिबंधित और 'निषिद्ध' उत्पादों को छोड़कर, इकाई की स्थापना

अ. जे. र.

के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। अनुमोदन भी आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन और प्रदान किए जाने वाले प्रारूप में वित्तीय और तकनीकी विवरण प्रस्तुत करने सहित पंजीकृत कार्यालय के निरीक्षण के अधीन है।

अनुमोदन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है: -

- i. नवीनतम आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण या किसी अन्य कानून में दी गई आयात और निर्यात नीति के तहत "निषिद्ध / प्रतिबंधित" वस्तुओं / नकारात्मक सूची के तहत किसी भी वस्तु का कोई निर्यात / आयात नहीं है और / या डीजीएफटी अधिसूचनाओं / सार्वजनिक के अनुसार स्कोमेट सूची के तहत कवर सार्वजनिक सूचना / समय-समय पर जारी निर्देश।
- ii. यूनिट के अधिकृत संचालन का दायरा एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा, जिसे निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 के साथ पढ़ा जाएगा।
- iii. डीटीए में कोई भी बिक्री सेज नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होगी।
- iv. डीजीएफटी अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पोर्ट प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. डीजीएफटी की आयात नीति या राज्य सरकार की उत्पाद नीति के अनुसार, जब भी आवश्यक हो, इकाई संबंधित विभागों से आवश्यक 'एनओसी' प्राप्त करेगी।

मद संख्या 3. पूंजीगत वस्तुओं/सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव:-

मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट-V)

3.1.1. मेसर्स एचसीएल (HCL) टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट-वी) ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस में एसईजेड प्लॉट नंबर 3ए, 3बी एंड 2सी, सेक्टर- 126, नोएडा (यूपी) मौजूदा और संशोधित अनुमानों का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का अनुमानित एफओबी मूल्य	417179.89	417179.89

21/03/22

विदेशी मुद्रा व्यय	35556.85	36556.85
एनएफई आय	381623.04	380623.04
आयातित पूंजीगत सामान	8317.50	9317.50
स्वदेशी पूंजीगत सामान	1500.00	1500.00
आयातित इनपुट सेवाएं	19498.88	19498.88
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	25394.23	25394.23
आयातित कच्चे माल / घटक / उपभोग्य आदि	414.38	414.38
स्वदेशी कच्चा माल / घटक / उपभोग्य आदि।	41.44	41.44
रोजगार सृजन	6477 संख्या	6477 संख्या

3.1.2. मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एसोसिएट डायरेक्टर श्री डी के शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.1.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मद संख्या 4 यूनिट के एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालनों को शामिल करने का प्रस्ताव।

4.1. मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज लिमिटेड

4.1.1. मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज लिमिटेड ने ग्राम-इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन (FTWZ) में स्थित अपनी इकाई के एलओए दिनांक 30.10.2018 में एचएस / एक्जिम कोड के साथ निम्नलिखित मदों को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्र सं	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) / एक्जिम कोड	आइटम विवरण	डीजीएफटी आयात / निर्यात नीति
1.	7311	लोहे या स्टील के संपीड़ित या तरलीकृत गैस के लिए कंटेनर।	
	73110010	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर	आयात इस शर्त के साथ निःशुल्क है कि ऑटोमोटिव उपयोग के लिए एलपीजी कंटेनर

रा.जे.ए.

क्र सं	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) / एक्जिम कोड	आइटम विवरण	डीजीएफटी आयात / निर्यात नीति
			IS 14899 के अनुरूप होने चाहिए, कम दबाव वाली द्रवीभूत गैसों के लिए 5 लीटर से अधिक पानी की क्षमता वाले वेल्डेड कार्बन स्टील गैस सिलेंडर भाग 1 तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आईएस 3196 के अनुरूप होना चाहिए
	73110020	कम दबाव सिलेंडर(एलपीजी के अलावा 35.2 किग्रा/वर्ग सेमी तक काम करने का दबाव)।	आयात इस शर्त के साथ मुफ्त है कि 5 लीटर से अधिक वेल्डेड कम कार्बन स्टील सिलेंडर कम दबाव तरल गैसों के लिए पानी की क्षमता भाग 4 विषाक्त और संक्षारक गैसों के लिए सिलेंडर आईएस 3196 (भाग 4) और वेल्डेड कम कार्बन स्टील गैस सिलेंडर 5 लीटर से अधिक के अनुरूप होना चाहिए। निम्न दाब द्रवीभूत गैसों के लिए वाटर कैप एसीटी भाग 2 एलपीजी के अलावा अन्य द्रव्य गैसों के लिए सिलिंडरों को आईएस 3196 (पीटी 2) के अनुरूप होना चाहिए।
	73110030	उच्च दबाव सिलेंडर (35.2 किग्रा / वर्ग सेमी से अधिक काम करने का दबाव)	आयात इस शर्त के साथ मुफ्त है कि कम दबाव वाली तरल गैसों के लिए वेल्डेड कम कार्बन स्टील गैस सिलेंडर जो 5 लीटर पानी की क्षमता से अधिक न हो, आईएस 7142 और रीफिल करने योग्य सीमलेस स्टील गैस सिलेंडर भाग 1 के अनुरूप होना चाहिए। सामान्यीकृत स्टील सिलेंडर को आईएस 7285 (भाग) के अनुरूप होना चाहिए।
	73110090	अन्य	आयात इस शर्त के साथ मुफ्त है कि वेल्डेड और सीमलेस स्टील भंग एसिटिलीन गैस सिलेंडर आईएस 7312 के अनुरूप होना चाहिए।
2.	8410	हाइड्रोलिक टर्बाइन, पानी के पहिये और उसके लिए नियामक।	-

21 जे 2

क्र सं	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) / एक्जिम कोड	आइटम विवरण	डीजीएफटी आयात / निर्यात नीति
	84101100	हाइड्रोलिक टर्बाइन और पानी के पहिये: - 1,000 kW . से अधिक की शक्ति का नहीं	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84101210	1000 किलोवाट से अधिक लेकिन 5000 किलोवाट से अधिक शक्ति की नहीं	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84101220	5000 किलोवाट से अधिक लेकिन 10000 किलोवाट से अधिक की शक्ति का नहीं।	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84101310	1000 किलोवाट से अधिक लेकिन 30000 किलोवाट से अधिक की शक्ति का नहीं।	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84101320	30000 किलोवाट से अधिक लेकिन 80000 किलोवाट से अधिक शक्ति का नहीं	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84101390	80000 किलोवाट से अधिक की शक्ति का	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84109000	नियामकों सहित पुर्जे	मुफ्त - आयात और निर्यात
3.	8412	अन्य इंजन और मोटर्स	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84121000	टर्बो-जेट के अलावा अन्य प्रतिक्रिया इंजन	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84122100	हाइड्रोलिक पावर इंजन और मोटर्स: - रैखिक कार्यकारी (सिलेंडर)	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84122910	हाइड्रोजेट (हाइड्रोलिक जेट इंजन)	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84122990	अन्य	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84123100	न्यूमेटिक पावर इंजन और मोटर्स: - - रैखिक कार्यकारी (सिलेंडर)	मुफ्त - आयात और निर्यात

२/जे०

क्र सं	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) / एक्जिम कोड	आइटम विवरण	डीजीएफटी आयात / निर्यात नीति
	84123900	वायवीय शक्ति इंजन और मोटर्स: - - अन्य	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84128011	भाप या अन्य वाष्प शक्ति: ---- स्थिर	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84128019	भाप या अन्य वाष्प शक्ति:-अन्य	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84128020	भाप या अन्य वाष्प शक्ति: ---- मोटर्स, घड़ी और घड़ी की गति को छोड़कर संचालित स्प्रिंग	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84128030	भाप या अन्य वाष्प शक्ति: - पवन टरबाइन या इंजन	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84128090	भाप या अन्य वाष्प शक्ति:-अन्य।	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84129010	बॉयलरों को शामिल करने वाले भाप इंजनों में से।	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84129020	अन्य भाप इंजनों और अन्य वाष्प बिजली इकाइयों में बॉयलर शामिल नहीं हैं	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84129030	हाइड्रोलिक इंजन और मोटर्स	मुफ्त - आयात और निर्यात
	84129090	अन्य	मुफ्त - आयात और निर्यात
4.	9019	तंत्र-चिकित्सा उपकरण; मालिश उपकरण; मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षण उपकरण; ओजोन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, एरोसोल थेरेपी, कृत्रिम श्वसन या अन्य	

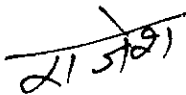
५१ जेए

क्र सं	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) / एक्जिम कोड	आइटम विवरण	डीजीएफटी आयात / निर्यात नीति
		चिकित्सीय श्वसन उपकरण	
	90191010	तंत्र-चिकित्सा उपकरण	मुफ्त - आयात और निर्यात
	90191020	मालिश उपकरण	मुफ्त - आयात और निर्यात
	90191090	अन्य	मुफ्त - आयात और निर्यात
	90192010	ऑक्सीजन थेरेपी उपकरण	मुफ्त - आयात और निर्यात
	90192090	अन्य	मुफ्त - आयात और निर्यात

4.1.2. श्री रोशन लाल, मेसर्स अशिया 3पीएल सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक और श्री विपिन कौशिक- शौर्य एयरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया।

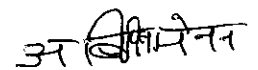
4.1.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से एचएस कोड 8410, 8412 और 9019 को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। समिति ने अन्य एफटीडब्ल्यूजेड (FTWZ) को एचएस कोड 8410 और 8412 के तहत मदों के संबंध में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में एक पत्र लिखने का निर्देश दिया। समिति ने आगे एचएस कोड 7311 के तहत मदों के संबंध में सिलेंडर अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र की प्रतियां प्राप्त करने का निर्देश दिया। समिति ने एचएस कोड 8410, 8412 और 7311 के तहत मदों के संबंध में फाइल पर मामले पर निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण को अधिकार दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(राजेश कुमार)

उप. विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त